UPMP010116782023

न्यायालय ADJ I, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (Sri Achchhe Lal Saroj), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06134

विशेष सत्र परीक्षण संख्या – 2826/2023

उत्तर प्रदेश राज्य। अभियोजन......

बनाम

1– त्रिलोक चन्द्र गोस्वामी पुत्र होरीलाल गोस्वामी निवासी वैदिक स्कूल वाली गली नंबर 4 टीचर्स कॉलोनी थाना सासनी जनपद हाथरस।

2– दयाशंकर उर्फ सोनू शर्मा पुत्र सोवरनलाल शर्मा निवासी नई बस्ती वाला पट्टी कॉलोनी थाना हाथरस कोतवाली शहर जनपद हाथरस।

3– नितिन कुमार पुत्र रामवीर सिंह निवासी ग्राम नोजलपुर थाना सासनी जनपद हाथरस।

---------अभियुक्त

अपराध संख्या– 184/2023
धारा– 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट
थाना– दन्नाहार, **जनपद–** मैनपुरी।

अभियोजक	उत्तर प्रदेश राज्य
प्रतिनिधित्व	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (विशेष)
अभियुक्तगण	**1–** त्रिलोक चन्द्र गोस्वामी **2–**

	दयाशंकर उर्फ सोनू शर्मा **3–** नितिन कुमार
प्रतिनिधित्व अभियुक्त	विद्वान अधिवक्ता एम.अली एड०
घटना की तिथि	13.08.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की तिथि	13.08.2023
आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि	02.09.2023
आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिये जाने की तिथि	12.09.2023
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	07.10.2024
साक्ष्य प्रारम्भ करने की तिथि	09.07.2025
धारा 313 दं.प्रं.स. का बयान की तिथि	05.02.2026
निर्णय की तिथि	09.04.2026

(i) अभियोजन साक्षियों की सूची :–

क्रम संख्या	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार**
पी.डब्लू. 1	निरीक्षक चन्द्रपाल सिंह (वादी मुकदमा)	तथ्य का साक्षी
पी.डब्लू. 2	हेड कॉनि पदम गोस्वामी	तथ्य का साक्षी
पी.डब्लू. 3	हेड कॉनि. रामनरायन सिंह (एफ.आई.आर. व जी.डी लेखक)	औपचारिक साक्षी
पी.डब्लू. 4	एस.आई. ऊदल सिंह	औपचारिक साक्षी

(ii) अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्श :–

क्रम संख्या	**प्रदर्श संख्या**	**प्रकार**
1.	प्रदर्श क– 1 / पी.डब्लू. 1	फर्द बरामदगी
2.	प्रदर्श क– 2 / पी.डब्लू. 3	चिक एफ.आई.आर
3.	प्रदर्श क– 3 / पी.डब्लू. 3	जी.डी
4.	प्रदर्श क– 4 / पी.डब्लू. 4	नक्शा नजरी
5.	प्रदर्श क– 5 / पी.डब्लू. 4	आरोप पत्र

(iii) अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वस्तु प्रदर्श :–

क्रम संख्या	**प्रदर्श संख्या**	**प्रकार**
1.	वस्तु प्रदर्श– 1	बरामद मोबाईल
2.	वस्तु प्रदर्श –2	ट्राली बैंग
3.	वस्तु प्रदर्श –3	बरामद पैकेट
4.	वस्तु प्रदर्श –4	बरामद पैकेट

<u>निर्णय</u>

अभियुक्त **1–** त्रिलोक चन्द्र गोस्वामी पुत्र होरीलाल गोस्वामी निवासी वैदिक स्कूल वाली गली नंबर 4 टीचर्स कॉलोनी थाना सासनी जनपद हाथरस, **2–** दयाशंकर उर्फ सोनू शर्मा पुत्र सोवरनलाल शर्मा निवासी नई बस्ती वाला पट्टी कॉलोनी थाना हाथरस कोतवाली शहर जनपद हाथरस, **3–** नितिन कुमार पुत्र रामवीर सिंह निवासी ग्राम नोजलपुर थाना सासनी जनपद हाथरस का विचारण मु०अ०स० 184/2023 अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना दन्नाहार जिला मैनपुरी की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि वादी मुकदमा निरीक्षक चन्द्रपाल सिंह द्वारा फर्द बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि, " आज दिनांक 13.08.2023 को मैं थानाध्यक्ष चन्द्रपाल सिंह मय हमराह उ.नि. श्री जितेन्द्र सिंह, हे.कॉनि. 580 पदम गोस्वामी व कॉनि. 193 प्रिंस गुर्जर मय बुलेरो सरकारी गाड़ी मय चालक ग्याप्रसाद के थाना हाजा से वहवाले रपट नं. 18 समय 07.30 बजे वास्ते देखरेख शांति व्यवस्था रोकथाम जुर्म जरामय व तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन में अंदर इलाका थाना हाजा से रवाना होकर गस्त करता हुआ मैनपुरी आगरा रोड सैनिक स्कूल पर पहुंचा तो मुखबिर खास ने पास आकर बताया कि तीन लोग एक ग्रे रंग की सुजुकी मारूती सिफ्ट डिजाइर नं. UP 85 X 1676 कार से शिकोहाबाद की तरफ से मैनपुरी के लिये आ रहे है। जिनके पास वैगो में भरा हुआ अवैध गांजा है। जिसकी वह लोग मैनपुरी से सप्लाई करते है। अगर आप किसी स्थान पर चैकिंग लगा दे तो वह लोग गाड़ी व अवैध गांजा के साथ पकड़े जा सकते है। मुखबिर की

सूचना पर विश्वास करके आसनाहे राह पर आने जाने वाले जनता के व्यक्तियों को रोककर गवाही देने के लिये मकसद बताकर पूंछा गया तो भलाई बुराई के कारण कोई जनता का व्यक्ति तैयार नहीं हुआ और अपना बिना नाम पता बताये अपने अपने गंतव्य को चले गये। तब मुझ थानाध्यक्ष द्वारा थाने की द्वितीय मोबाईल से क्षेत्र में पूर्व से रवाना उ.नि. श्री पृथ्वी सिंह को फोन से सूचना देकर मय हमराहीयान के सैनिक स्कूल पर बुलाया गया। उ.नि श्री पृथ्वी सिंह मय हरामहीयान कॉनि० 588 विक्रान्त चौधरी व कॉनि. 184 अर्जुन सिंह के मुझ थानाध्यक्ष के पास उपस्थित आये तथा मुखबिर की सूचना से श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर मैनपुरी को अवगत कराया। श्रीमान क्षेत्राधिकारी द्वारा मुझ थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि आप लोग तत्काल किसी स्थान पर वाहनों की चैकिंग करना शुरू कर दे, मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ। तब मैं थानाध्यक्ष मय हमराहीयान फोर्स के दोनों गाड़ियों से चलकर कल्होर पुल पर पहुंचा और कल्होर पुल पर घिरोर की तरफ से आने वाली सभी कारों की चैकिंग करने लगा कुछ देर बाद श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर मैनपुरी महोदय भी मौके पर हम पुलिस वालों के पास पहुंच गये। श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के कुछ देर बाद मुखबिर द्वारा बतायी गयी एक ग्रे रंग की सुजुकी मारूती सिफ्ट डिजायर नं. UP 85 X 1676 कार घिरोर की तरफ से आती दिखायी दी जो नजदीक आने पर हम पुलिस वालों को देखकर कार का चालक व्यक्ति कार को पीछे मोड़ने लगा कि गाड़ी में बदमाश होने के शक पर हम पुलिस वालों ने तेजी से दोड़कर एक बारगी दबिश देकर हिकमत अमली से कार को पीछे मुड़ने से पहले ही घेर कर रूकवा लिया। कार के रूकवाने के बाद कार में अंदर बैठे तीन लोगों को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर मैनपुरी महोदय के निर्देश व मौजूदगी में बारी बारी नाम पता पूंछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम त्रिलोक चन्द्र गोस्वामी पुत्र श्री होरीलाल गोस्वामी निवासी वैदिक स्कूल वाली गली नं. 4 टीचर्स कॉलोनी कस्बा व थाना सासनी जनपद हाथरस बताया तथा जामा तलाशी से पहने जीन्स की पेन्ट की दाहिनी जेब से एक कीपेड मोबाईल लावा कम्पनी का बरामद हुआ तथा दूसरे ने अपना नाम दयाशंकर उर्फ सोनू शर्मा पुत्र श्री सोबरन लाल शर्मा निवासी नई बस्ती वाला पट्टी कॉलोनी हाथरस थाना कोतवाली नगर हाथरस बताया जिसके जामा तलाशी से पहने पेन्ट का दाहिनी जेब से एक एड्राइंड मोबाईल रियलमी कम्पनी का बरामद हुआ तथा तीसरे ने अपना नाम नितिन कुमार पुत्र रामवीर सिंह निवासी ग्राम नोजलपुर थाना सासनी जिला हाथरस बताया तथा जामा तलाशी से कोई शह बरामद नही हुयी। कार का तलाशी श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के निर्देशन व मौजूदगी में ली गयी तो कार के अंदर कार पिछली

सीट पर रखा एक ट्राली वैग रंग गहरा आसमानी तथा केरी बैग कथ्थई कलर का बरामद हुया जिनको कार से बाहर निकालकर बैगों के अंदर रखे सामान के संबंध में श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय द्वारा पूंछा गया तो पकड़े हुये तीनों व्यक्तियों ने एक स्वर में बताया कि साहब इन बैगो के अंदर गांजे के पैकेट भरे हुये है जिनको हम मथुरा से अज्ञात व्यक्ति से खरीदकर लाये है जिसका हम लोग नाम पता नहीं जानते है और इस गांजे को हम मैनपुरी में अज्ञात को बेचने के लिये जा रहे है। उनके नाम पते की भी हम लोगों को जानकारी नहीं है। तब क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा पकड़े हुये लोगों को धारा 50 एन.डी.पी.एस के प्रावधानों से अवगत कराकर नोटिस तलाशी हेतु निर्गत कर अभियुक्तगण की सहमति ली। तब हम पुलिस वालों से श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय मैनपुरी के द्वारा बैगो को खुलवाकर देखा तो 09 प्लास्टिक के सील बन्द पैकेट बरामद हुये जिनमे से एक पैकेट को खोलकर सूंगा गया तो जिसमें से गांजे की बू आ रही है। पकड़ हुये तीनों लोगों से बरामद गांजे का रखने का लाईसेंस मांगा गया तो दिखाने में कासिर रहे। पकड़ हुये तीनों व्यक्तियों का यह कृत्य जुर्म धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट की हद को पहुंचता है। अभियुक्तगण त्रिलोकचन्द्र गोस्वामी, दयाशंकर उर्फ सोनू शर्मा व नितिन कुमार उपरोक्त को उनके जुर्म धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट से अवगत कराकर समय 09.25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के दौरान सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार के आदेश निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुये गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किये गये। हमराह मुख्य आरक्षी 580 पदम गोस्वामी को बरामद गांजो को तोलने के लिये वाट माप लाने के लिये भेजा गया तो कुछ देर बाद मुख्य आरक्षी 580 पदम गोस्वामी कस्बा विघरई से वजन तोलने वाली इलेक्ट्रॉनिक कांटा लेकर मौके पर आया। बरामद गांजे के 09 पैकेटो को इलेक्ट्रॉनिक काटे पर रखकर तोला गया तो सभी 09 पैकेटों का कुल वजन 26 किलो 725 ग्राम है। खुले हुये गांजा के पैकेट से 500 ग्राम गांजे को तुलवाकर बतौर नमूना अलग निकालकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना थाने से द्वारा उचित माध्यम से अभियुक्तगण के परिजनों को भेजी जायेगी। फर्द को मुझ थानाध्यक्ष द्वारा हमराह उ.नि जितेन्द्र सिंह से बोल बोलकर लेपटॉप पर टाईप करायी गयी जिसको पैन ड्राइव सेलेकर हार्ड प्रतिया हमराह कॉनि. 193 प्रिंस गुर्जर को थाने पर भेजकर मौके पर मंगवायी गयी। फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के मजबून को हमराह कर्मचारीगण व अभियुक्तगण को पकड़कर सुनाकर वास्ते गवाही गवाहन अलामात बनवाये गये।"

3– वादी मुकदमा निरीक्षक चन्द्रपाल सिंह की उपरोक्त आशय की फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना दन्नाहार जिला मैनपुरी में मुकदमा अपराध संख्या 184/2023 अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट के अंतर्गत अभियुक्तगण **1–** त्रिलोक चन्द्र गोस्वामी **2–** दयाशंकर उर्फ सोनू शर्मा **3–** नितिन कुमार के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी, जिसका इन्द्राज जी.डी मुकदमा कायमी में किया गया।

4– मामले की विवेचना एस.आई ऊदल सिंह द्वारा की गयी जिनके द्वारा नकल चिक, नकल एफ.आई.आर का अवलोकन कर तस्करा संलग्न किया गया व बयान संबंधित साक्षीगण अंकित करते हुये नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा विवेचना में आये संक्लित साक्ष्य के आधार पर नामित अभियुक्तगण **1–** त्रिलोक चन्द्र गोस्वामी **2–** दयाशंकर उर्फ सोनू शर्मा **3–** नितिन कुमार के विरूद्ध जुर्म धारा 8/20 एन.डी.पी.एस का अपराध प्रथम दृष्टया साबित पाते हुये आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

5– न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, कोर्ट संख्या 01, मैनपुरी द्वारा अभियुक्तगण **1–** त्रिलोक चन्द्र गोस्वामी **2–** दयाशंकर उर्फ सोनू शर्मा **3–** नितिन कुमार के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र पर संज्ञान ग्रहण किया गया तथा अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकलें प्रदान की गयी।

6– अभियुक्तगण **1–** त्रिलोक चन्द्र गोस्वामी **2–** दयाशंकर उर्फ सोनू शर्मा **3–** नितिन कुमार के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट दिनांक 07.10.2024 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०–1, मैनपुरी द्वारा विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्तगण आरोप से इन्कार किया तथा विचारण किये जाने की मांग की।

7– अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–1, चिक एफ.आई.आर को प्रदर्श क–2, जी.डी को प्रदर्श क–3, नक्शा नजरी को प्रदर्श क–4 एवं आरोप पत्र को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित कराया गया है।

8– (A) अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू–1 उ.नि चन्द्रपाल सिंह ने दिनांक 09.07.2025 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि " दिनांक 13.08.2023 को मैं बतौर थानाध्यक्ष के पद पर थाना दन्नाहार पर तैनात था और उसी दिन एस.आई. जितेन्द्र, हेड कानि० पदम गोस्वामी, कानि० प्रिन्स गुर्जर मय चालक गया प्रसाद थाना हाजा से बहवाले रपट नं० 18 समय 07.30 बजे शान्ति व्यवस्था व जुर्म जरायम चैकिंग संदिग्ध वाहन चैकिंग के लिए थाना हाजा क्षेत्र में मामूर था। जब हम

लोग सैनिक स्कूल पर पहुँचे तो मुखबिर खास ने आकर बताया कि तीन लोग ग्रे रंग की मारूती कार से जिस का नं० यू.पी. 85 X 1676 कार से शिकोहाबाद की तरफ से मैनपुरी आ रहे है। जिन के पास बैगों में अवैध गांजा भरा हुआ है। अगर चैकिंग की जाये तो अवैध गांजा के साथ पकड़े जा सकते है। मुखबिर की बात पर विश्वास करते हुए जनता के गवाह को फराहम करने की कोशिश की लेकिन भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नही हुआ था। फिर हमने एस.आई. पृथ्वी सिंह को फोन पर सूचना कर मय हमराहीयान को सैनिक स्कूल पर आने को कहा फिर हम सभी लोग चलकर कल्होर पुल के पास पहुँचे और आने जाने वाले वाहनों की चैकिंग करने लगे। इस दौरान श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय भी आ गये थे। थोड़ी देर बाद एक ग्रे रंग की मारूती कार घिरोर की तरफ से आती दिखाई दी। नजदीक आने पर हम लोगो को देखकर कार को पीछे मोड़ने लगा था। बदमाश होन का शक में हम लोगों ने एक बारगी दबिश देकर कार को रूकवा लिया व कार में बैठे तीन व्यक्तियों को पकड़ लिया था। पकड़े जाने पर श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के निर्देश व मौजूदगी में बारी–बारी नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम त्रिलोकचन्द्र गोस्वामी पुत्र होरीलाल गोस्वामी नि० वैदिक स्कूल वाली गली नं० 4 टीचर्स कालौनी थाना सासनी जनपद हाथरस बताया जामा तलाशी में पहने पेन्ट की दहिनी जेब से एक की–पैड मोबाईल लावा कम्पनी का बरामद हुआ था तथा दूसरे ने अपना नाम दयाशंकर पुत्र सोबरन लाल शर्मा नि० नई बस्ती वाला पट्टी कालौनी हाथरस थाना कोतवाली हाथरस बताया था। जामा तलाशी में पेन्ट की दाहिनी जेब से एक एण्डरायड मोबाईल रीयल–मी कम्पनी का बरामद हुआ था तथा तीसरे ने नाम नितिन कुमार पुत्र रामवीर सिंह नि० नोजलपुर थाना सासनी जिला हाथरस बताया था। सी.ओ. साहब की मौजूदगी में कार के अन्दर पिछली सीट पर रखा एक ट्राली बैग रंग गहरा आसमानी तथा कैरी बैग कत्थई रंग का बरामद हुआ था जिसको कार से बाहर निकाला था तो तीनों ने बताया साहब इनमें गांजे के पैकेट भरे है। जिसे हम मथुरा से खरीदकर मैनपुरी बेचने ले जा रहे थे। जिसे खोलकर देखा तो दोनों में 9 प्लास्टिक के सील बन्द पैकेट बरामद हुए थे। जिन को खोलकर देखने पर गांजे की बू आ रही थी। पकड़े गये तीनों व्यक्तियों को जुर्म धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट की हद तक पहुँचता है। उनको जुर्म से अवगत कराते हुए समय 9.25 बजे हिरासत पुलिस में लिया था। गिरफ्तारी व बरामदगी के दौरान मा० सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेश व निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया था। आरक्षी पदम गोस्वामी को भेजकर बाजार से इलेक्ट्रानिक कांटा मंगवाया था। इलेक्ट्रानिक काटे से वजन करने पर 9 पैकेटो का वजन 26

किलो 725 ग्राम था। खुले हुए गांजे के पैकेट से 500 ग्राम गांजे को नमूना अलग निकाल कर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर बनाया था। शेष बरामद गांजा 26 किलो 225 ग्राम को बरामद बैगों के अन्दर रख कर चिटबन्दी की गयी थी तथा कार को चिटबन्दी कब्जा पुलिस में लेकर की थी तथा नमूना मोहर बनाया था। बरामदशुदा माल आज न्यायालय में मेरे समक्ष मौजूद है। न्यायालय के आदेश पर जब बैग खोला गया उनके अंदर वही माल है जो मैने मौके पर सील किया था। दो मोबाईल एक एण्डरायड व एक की–पैड जिस की पुस्त पर मु०अ०सं० 184/23 अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट त्रिलोकचन्द्र लिखा है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिस मैने न्यायालय के आदेश पर खोलकर देखा तो यह वही मोबाईल है जिस पर वस्तु प्रदर्श 1 डाला गया है तथा एक ट्राली बैग जिस पर वस्तु प्रदर्श 2 डाला गया जिसके अन्दर से 9 पैकेट है। दोनों बैग में ही एक बैग में 4 पैकेट व एक में 5 पैकेट है जिस पर वस्तु प्रदर्श 3 व 4 डाला गया। फर्द को थानाध्यक्ष द्वारा हमराह एस.आई. जितेन्द्र सिंह से बोल बोलकर लैपटाप से टाईप कराई थी जिसे पेनड्राईव में लेकर कानि० को थाने भेजकर उसका प्रिन्ट आउट निकलवाया था जिसको मौके पर हमराहीयान व अभियुक्तगण को सुनाकर हस्ताक्षर बनवाये थे। यह फर्द पत्रावली पर कागज स० 4अ/5 व 4अ/6 के रूप मे मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान थाना परिसर में लिया था।"

(B)– साक्षी पी०डब्लू–2 रिटा० हेड कॉनि. पदम गोस्वामी ने दिनांक 12.08.2025 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, "दिनांक 13.08.2023 को मैं बतौर हेड कानि० के पद पर थाना दन्नाहार में तैनात था और उसी दिन एस.ओ. चन्द्रपाल सिंह के साथ हमराहीयान में था। मेरे साथ एस.आई. जितेन्द्र सिंह, कानि० प्रिंस गुर्जर मय बुलेरो सरकारी जीप के साथ बहवाले रपट नं० 18 समय 7.30 बजे रवाना होकर क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था व तलाश वांछित अपराधी थाना क्षेत्र में मामूर था जब हम लोग आगरा रोड सैनिक स्कूल पर पहुँचे तो मुखबिर खास ने बताया कि एक मारूती स्विफट डिजायर कार शिकोहाबाद में मैनपुरी आ रही है। जिन के पास बैगों में अवैध गांजा भरा है। मुखबिर की सूचना पर जनता के गवाह फराहम करने की कोशिश की थी किन्तु भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नही हुआ था। चूंकि मामला नशीला पदार्थ का था इसलिये दरोगा जी ने धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का पालन करते हुए क्षेत्राधिकारी महोदय को मोबाईल से सूचित किया था तब थोड़ी देर बाद क्षेत्राधिकारी महोदय मौके पर आ गये थे। कुछ देर बाद एक गाड़ी आते हुए दिखाई दी थी हम लोगो ने उसे रोकने का इशारा

किया था लेकिन वह गाड़ी पीछे मोड़ने लगा था तब हम लोगो ने आवश्यक बल प्रयोग कर के कार को रूकवा लिया था। कार के अन्दर बैठे तीन लोगो को पकड़ लिया था। क्षेत्राधिकारी के निर्देश व मौजूदगी में बारी बारी से नाम पूछते हुए जामा तलाशी ली तो पहले ने अपना नाम त्रिलोकचन्द्र गोस्वामी निवासी 4 टीचर्स कॉलोनी कस्बा व थाना सासनी जिला हाथरस बताया था जिसके पहने पेन्ट की दाहिनी जेब से एक की–पैड मोबाईल बरामद हुआ था तथा दूसरे ने अपना नाम दयाशंकर उर्प सोनू शर्मा निवासी नई बस्ती हाथरस पट्टी कालौनी बताया था जामा तलाशी में पहने पेन्ट की दाहिनी जेब से एक एण्ड्रयाड मोबाईल बरामद हुआ था तथा तीसरे ने अपना नाम नितिन कुमार नौजलपुर थाना व जिला हाथरस बताया था। कार की तलाशी क्षेत्राधिकारी महोदय के निर्देशन में ली गयी तो कार की पिछली सीट से एक ट्राली बैग व एक कैरी बैग बरामद हुआ था। पूंछने पर तीनों व्यक्तियों ने बताया था कि इस में नाजायज गांजा भरा है। जिसे बेचने को ले जा रहा था। क्षेत्राधिकारी महोदय ने पैकेटों को खोलकर देखा तो उसमें 9 प्लास्टिक के सील बन्द पैकेट बरामद हुए थे व सूंघकर देखा तो उसमें गांजे की बू आ रही थी। पकड़े गये तीनों व्यक्तियों का यह जुर्म धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट की हद तक पहुँचता है उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए करीब 9.25 बजे पुलिस हिरासत में लिया था। गिरफ्तारी के दौरान मा० सर्वोच्च न्यायलय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों का पालन किया था। बरामदशुदा माल को इलेक्ट्रानिक काटा के तौला गया तो 9 पैकेटों का वजन 26 किलो 725 ग्राम निकला था बरामद सभी पैकेटों मे से नमूना के लिये 500 ग्राम गांजा निकाला था उसे अलग कपड़े में रखकर सील सर्वे मोहर किया था तथा बकाया माल उन्ही ट्राली बैग में रखकर सील सर्व मोहर किया था। फर्द को एस.आई. द्वारा मौके पर उपनिरीक्षक जितेन्द्र सिंह से बोल बोलकर लेपटाप से टाईप करायी थी तथा कानि० प्रिंस गुर्जर को थाने भेजकर उसकी कापी निकलवाई थी तथा फर्द की प्रतियों को पढ़कर सुनाकर हमराहीयान व अभियुक्तगणों के हस्ताक्षर कराये थे विवेचक ने मेरा बयान थाना परिसर में लिया था।"

(C)– साक्षी पी०डब्लू–3 रिटा० हेड.कॉनि. रामनारायण सिंह ने दिनांक 08.09.2025 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, "दिनांक 13.08.2023 को मै बतौर सी.सी. के पद पर तैनात था और उसी दिन एस.ओ. चन्द्रपाल सिंह द्वारा लिखित टाईप शुदा फर्द के आधार पर मु०अ०सं० 184/23 धारा 8/20 एन्.डी.पी.एस. एक्ट बनाम त्रिलोकचन्द्र आदि के विरूद्ध अपराध पंजीकृत किया था। यह चिक एफ.आई.आर. पत्रावली पर कागज सं० 4अ/1 लगायत 4अ/4 के रूप में मौजूद है

जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया जो मेरे द्वारा कम्प्यूटर से टाईप की गयी थी जिस पर एस.ओ. के हस्ताक्षर है जिसका खुलासा जी.डी. 31 दिनांक 13.08.2023 समय 12.16 बजे किया था। यह जी.डी. मेरे द्वारा कम्प्यूटर द्वारा टाईप की गयी थी जिस पर मेरे हस्ताक्षर है जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ। जो पत्रावली पर कागज सं० 7 अ के रूप में मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान थाना परिसर में लिया था।"

(D)– साक्षी पी०डब्लू–4 उप.निरी. ऊदल सिंह ने दिनांक 26.11.2025 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, "दिनांक 13.08.2023 को मैं बतौर उपनिरीक्षक के पद पर थाना दन्नाहार में तैनात था और उसी दिन मु०अ०सं० 184/23 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट की विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी और उस दिन मैने सी.डी. पर्चा नं० 1 किता किया था जिसमें मैने नकल चिक, नकल रपट, बयान वादी, बयान एफ.आई.आर लेखक हेड कानि० रामनरायन तथा बयान अभियुक्त त्रिलोकचन्द्र गोस्वामी, दयाशंकर उर्फ सोनू शर्मा व अभियुक्त नितिन कुमार का बयान तथा अभियुक्तगणो का रिमाण्ड लिया गया था। दिनांक 15.08.2023 को मेरे द्वारा सी.डी. पर्चा नं० 2 किता किया गया था जिसमें मैने बयान फर्द गवाह एस.आई. जितेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया था तथा वादी चन्द्रपाल सिंह की निशान देही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा उनकी निशान देही पर नक्शा नजरी तैयार किया था जो पत्रावली पर कागज संख्या 5 अ के रूप में मौजूद है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में मौजूद है, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। दिनांक 18.08.2023 को घटना से संबंधित वाहन यू.पी. 85 एक्स 1676 स्फिट डिजायर से संबंधित आर.टी.ओ. हाथरस के विवरण मैं मालिक निरंजन पुत्र नत्थी लाल निवासी नगला भीम कुवंर पुर हाथरस स्पष्ट हुआ था। दिनांक 21.08.2023 को मेरे द्वारा सी.डी. पर्चा नं० 4 किता किया था उसमें मेरे द्वारा फर्द गवाह हेड कानि० पदम गोस्वामी, कानि० प्रिंस गुर्जर के बयान अंकित किये थे। दिनांक 25.08.2023 को मेरे द्वारा सी.डी. पर्चा नं० 5 किता किया गया था जिसमें मैने बरामद माल के के नमूना को एफ.एस.एल आगरा भेजे गये माल की जामा पर्ची का उल्लेख किया था तथा वाहन की जब्तीकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दिनांक 28.08.2023 को मेरे द्वारा सी.डी. पर्चा नं० 6 किता किया गया था जिसमे मैने पंजीकृत वाहन स्वामी निरंजन के बयान अंकित किये गये थे। जिसमें वाहन स्वामी द्वारा वाहन संख्या यू.पी. 85 एक्स 1676 को 10 रूपये के स्टांप पर दिनांक 17.06.2021 को अभियुक्त दयाशंकर को बेचना बताया है जिसमें गवाह पिन्टु चौधरी के बयान अंकित है। दिनांक 02.09.2023 को मेरे द्वारा सी.डी. पर्चा नं० 7 किता किया गया था जिसमें फर्द

गवाह उपनिरीक्षक पृथ्वी सिंह व कानि० विक्रांत चौधरी तथा कानि० अर्जुन सिंह के बयान अंकित किये थे व तमामी विवेचना के आधार पर अपराध बखूबी साबित होने पर आरोप पत्र संख्या 180/23 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट माननीय न्यायालय में मेरे द्वारा प्रेषित किया गया था। यह आरोप पत्र पत्रावली पर कागज संख्या 3 अ/1 लगायत 3 अ/7 के रूप में मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। यह आरोप पत्र कम्प्यूटर द्वारा टाईप किया गया है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है।"

9– बाद समाप्ति साक्ष्य अभियोजन अभियुक्तगण **1–** त्रिलोक चन्द्र गोस्वामी **2–** दयाशंकर उर्फ सोनू शर्मा **3–** नितिन कुमार का बयान धारा–313 दं.प्रं.स के अंतर्गत अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने आरोप को गलत बताया है। साक्षी पी.डब्लू. 01 निरीक्षक चन्द्रपाल, साक्षी पी.डब्लू. 02 हेड. कॉनि. पदम गोस्वामी, साक्षी पी.डब्लू. 03 हेड कॉनि. रामनारायण सिंह व साक्षी पी.डब्लू. 04 उप.निरी. ऊदल सिंह के बयान के संबंध में कथन किया है कि गलत बयान दिया है। पत्रावली में संलग्न विधि विज्ञान प्रयोगाशाला की रिपोर्ट के संबंध में जानकारी न होना बताया है। अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध राजनैतिक रंजिश के कारण मुकदमा चलना बताया तथा स्वंय को निर्दोष बताते हुये कोई अपराध कारित न करना कहा है तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है।

10– मैनें विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (विशेष) तथा अभियुक्तगण के विद्वान के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

11– अभियोजन पक्ष की तरफ से दौरान बहस यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण त्रिलोक चन्द्र गोस्वामी, दयाशंकर उर्फ सोनू शर्मा व नितिन कुमार को कल्होर पुल पर अंतर्गत धाना दन्नाहार में निरीक्षक चन्द्रपाल सिंह के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी द्वारा मय एक ग्रे रंग की सुजुकी मारूती स्विफट डिजाइर नं. UP 85 X 1676 के गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद कार की पिछली सीट पर रखे बैगो से कुल 09 पैकेट अवैध गांजा के बरामद हुये जिन्हे रखने का अभियुक्तगण के पास प्राधिकार नहीं था। अभियुक्तगण से बरामद माल के संबंध में मौके पर फर्द बरामदगी तैयार की गयी जिसे अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 01 द्वारा न्यायालय में साबित कराया गया है तथा बरामद माल को भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। बरामद माल व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के संबंध में साक्षी पी.डब्लू. 03 द्वारा वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर चिक किता की गयी है तथा उक्त मुकदमे का खुलासा रोजनामचा आम में किया गया है।

अभियुक्तगण से बरामद माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में विश्लेषण द्वारा गांजा बताया गया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सभी अभियोजन प्रपत्रों को अभियोजन साक्षियों द्वारा तस्दीक किया गया है। अभियुक्तगण पर आरोप सिद्ध है, अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी है।

12– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन पक्ष के तर्कों का विरोध करते हुये कहा गया कि अभियुक्तगण को झूंठा फंसाया गया है। उनके द्वारा उपरोक्त स्थान व समय पर कोई बरामदगी नहीं हुयी है। अभियुक्तगण के पास से झूंठी बरामदगी दिखाकर अभियुक्तगण को प्रस्तुत मामले में फंसाया गया है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है जबकि घटनास्थल कल्होर पुल का बताया गया है जहां अमूमन राहगीरों का आना जाना रहता है किन्तु फिर भी जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया है। अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 01 अभियुक्तगण की गाड़ी का नम्बर व बरामद माल गाड़ी की पिछली सीट पर याद होना बताता है किन्तु अभियुक्तगण बरामद कार में किस–किस स्थान पर बैठे थे, इस संबंध में जानकारी न होना बताता है जो कथित घटना को हास्यपूर्ण व संदिग्ध बनाता है। अभियजोन पक्ष अभियुक्तगण की जामा तलाशी क्षेत्राधिकारी के समक्ष लेना बताता है किन्तु इस संबंध में कोई भी लिखित आदेश पत्रावली पर संलग्न नहीं है और न ही फर्द बरामदगी पर संबंधित क्षेत्राधिकारी के हस्ताक्षर है जिससे स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से धारा–50 व 57 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है और घटनास्थल पर क्षेत्राधिकारी की काल्पनिक उपस्थिति दर्शायी गयी है। अभियुक्तगण से बरामद मोबाईल के संबंध में अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 01 ने अपने बयानों में कथन किया है कि अभियुक्त त्रिलोक के किस जेब से मोबाईल बरामद हुआ था, याद नहीं है तथा अन्य अभियुक्त दयाशंकर उर्फ सोनू शर्मा के हाथ से मोबाईल बरामद होना बताया है जबकि फर्द बरामदगी में उपरोक्त वक्तव्य से विपरीत उसकी पहने पेन्ट की दाहिनी जेब से मोबाईल बरामद होना बताया गया है जो घटना को संदिग्ध बनाता है। इस साक्षी द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद माल को स्वंय द्वारा सूंघना बताया है तथा मौके पर किसी विशेषज्ञ का न आना बताया है। साक्षी पी.डब्लू. 02 ने घटनास्थल की चौहद्दी के संबंध में भी याद न होना कहा है जिससे इसकी स्वंय की उपस्थिति घटनास्थल पर संदिग्ध प्रतीत होती है। अभियुक्तगण से बरामद माल के संबंध में कोई वीडियोग्राफी भी नहीं बनायी गयी है। अभियुक्तगण से बरामद माल कहां से लिया गया है

व अभियुक्तगण माल की सप्लाई किसके यहां देने जा रहे थे, इस संबंध में भी पत्रावली पर कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्तगण से बरामद माल का नमूना भी मिश्रित रूप से नहीं लिया गया है अपितु एक पैकेट से लिया गया है तथा बरामद अन्य पैकेटों में क्या था, इस संबंध में भी अभियोजन पक्ष द्वारा कोई ठोस व पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं हुयी है तथा उनके विरूद्ध झूंठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से जो पत्रावली पर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है वह पर्याप्त विरोधाभासी है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप साबित नहीं है। अत: अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

13– अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।

14– अभियोग के संबंध में फर्द बरामदगी (प्रदर्श क–1) के अवलोकन से यह पाया जाता है कि फर्द बरामदगी में दिनांक 13.08.2023 को निरीक्षक चन्द्रपाल सिंह के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी द्वारा समय 07.30 पर जी.डी नं० 18 में रवानगी दर्शाते हुये वास्ते तलाश वांछित अपराधी व रोकथाम जुर्म हेतु क्षेत्र में गश्त करना और मुखबिर की सूचना पर कल्होर पुल पर अंतर्गत थाना दन्नाहार में अभियुक्तगण को गिरफ्तार करना व अभियुक्तगण से बरामद कार सुजुकी मारूती स्विफट डिजाइर नं. UP 85 X 1676 की पिछली सीट पर रखे बैगो से 09 पैकेट अवैध गांजा कुल 26 किलो 725 ग्राम बरामद होना बताया गया है।

15– अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत साक्षी पी.डब्लू. 01 उप.निरी. चन्द्रपाल सिंह है जिन्हे प्रस्तुत मामले का वादी मुकदमा होना बताया गया है, के बयान के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस साक्षी ने फर्द बरामदगी के अनुरूप कथन करते हुये एस.आई जितेन्द्र, हेड कॉनि. पदम गोस्वामी, कॉनि. प्रिंस व अन्य हमराहीगण के साथ थाना हाजा से बहवाले रपट नं. 18 समय 07.30 बजे वास्ते शांति व्यवस्था व जुर्म जरायम चैकिंग संदिग्ध वाहन क्षेत्र में मामूर होना और मुखबिर की सूचना पर अन्य एस.आई पृथ्वी सिंह के साथ कल्होर पुल पर चैकिंग करना और क्षेत्राधिकारी को उक्त सूचना से अवगत कराते हुये उनकी उपस्थिति में अभियुक्तगण को मौके से मय एक मारूती कार गिरफ्तार करना और क्षेत्राधिकारी के निर्देशानुसार अभियुक्तगण की जामा तलाशी से उनके कब्जे से बरामद कार की पिछली सीट पर रखे बैगो से 09 पैकेट अवैध गांजा बरामद होना बताया तथा उक्त माल को आरक्षी पदम गोस्वामी द्वारा बाजार से लाये इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तौलकर खुले गांजे के पैकेट से 500 ग्राम नमूना मौहर निकालना बताया है तथा उक्त माल को न्यायालय में

साबित कर फर्द बरामदगी को साबित किया है। दौरान जिरह इस साक्षी ने अभियुक्तगण का जिस गाड़ी से आना बताया है, उसका नं. UP 85 X 1676 होना बताया है किन्तु अभियुक्त गाड़ी में किस सीट पर बैठे थे, अगली सीट तथा पिछली सीट पर कौन बैठा था, के संबंध में याद न होना बताया है। आगे यह साक्षी मौके पर क्षेत्राधिकारी व अन्य पुलिस हमराहीयान पृथ्वी सिंह, उप.नि जितेन्द्र सिंह, हेड. कॉनि. पदम गोस्वामी, कॉनि प्रिंस, कॉनि. विक्रांत, कॉनि. राजपाल, ड्राईवर ग्याप्रसाद का मौके पर होना बताता है तथा फर्द बरामदगी पर अभियुक्तगण के अतिरिक्त हमराहीयान के हस्ताक्षर होना बताता है। पत्रावली में संलग्न फर्द बरामदगी कागज सं. 4अ/5 में उक्त साक्षी अभियुक्तगण के अतिरिक्त पुलिस हमराहीयान विक्रांत, जितेन्द्र सिंह, प्रिंस, पृथ्वी सिंह व स्वंय के हस्ताक्षर को तस्दीक करता है तथा क्षेत्राधिकारी के हस्ताक्षर न होना स्वीकार किया है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्राधिकारी की मौके पर उपस्थिति किस रूप में हुयी है, यह स्पष्ट नहीं है। यदि क्षेत्राधिकारी पुलिस पार्टी के सहयोग में गये थे तो निशिचत तौर पर फर्द बरामदगी पर उनके हस्ताक्षर होना चाहिये जो कि नहीं है और यदि क्षेत्राधिकारी धारा 50 एन.डी.पी.एस एक्ट के अनुपालन में मौके पर गये थे तो धारा 50 एन.डी.पी.एस एक्ट में विहित प्रावधानों का अनुपालन संबंधित क्षेत्राधिकारी को करना चाहिये था। इसके अतिरिक्त पत्रावली में संबंधित क्षेत्राधिकारी का अभियुक्तगण की जामा तलाशी से संबंधित पत्र भी न होना स्वीकार किया है। उल्लेखनीय है कि पत्रावली में संलग्न फर्द बरामदगी में क्षेत्राधिकारी की घटना स्थल पर उपस्थिति दर्शाई गई है, तथापि फर्द बरामदगी तथा इस साक्षी के बयान से उनकी वास्तविक उपस्थिति घटनास्थल पर प्रमाणित नहीं होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण की जामा तलाशी के संबंध में संबंधित राजपत्रित अधिकारी/क्षेत्राधिकारी की उपस्थिति मात्र औपचारिकता को पूरी करने के लिये दर्शायी गयी है, वास्तविकता इससे परे है। इस प्रकार की परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष का कथन संदेह से परे स्थापित नहीं होता है। आगे यह साक्षी अभियुक्त त्रिलोक चन्द्र की जामा तलाशी में उसके किस जेब से मोबाईल बरामद हुआ था, याद न होना बताता है। यह भी उल्लेखनीय है कि तीनों अभियुक्तगण को कार के साथ गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्तगण यात्रा में थे। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के पास से मात्र मोबाईल फोन बरामद होना बताया गया है। मोबाईल फोन के अलावा अभियुक्तगण के पास से न तो कोई पैसे की बरामदगी हुयी है और न ही उनके पास से कोई ए.टी.एम कार्ड आदि की बरामदगी हुयी है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा रास्ते में होने वाले खर्चे का वहन किसी रूप में किया जा रहा था, यह भी विचारणीय है। अभियुक्तगण से बरामद गांजा की प्रकृति के संबंध में स्वंय

अभियुक्त द्वारा बताये जाने पर जानना बताया है तथा बरामद माल को स्वंय सूंघ कर व निजी अनुभव के आधार पर पहचानना बताया है जबकि फर्द बरामदगी में यह तथ्य अंकित किया गया है कि मौके पर गिरफ्तार किये जाने के बाद तीनों अभियुक्तों ने एक स्वर में यह बताया कि उनके पास गाड़ी में रखा हुआ सामान गांजा है। उपरोक्त कथन अपने आप में विरोधाभासी है। इस साक्षी द्वारा की गयी उक्त कार्यवाही पर भी संदेह उत्पन्न होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस साक्षी के कथन व फर्द बरामदगी में उल्लेखित तथ्यों में विरोधाभास है। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी, बरामदगी, माल के नमूने आदि के संबंध में किये गये कथन पूरी तरह से भ्रामक व अविश्वसनीय प्रतीत होते है।

16– अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी.डब्लू. 02 हेड कॉनि. पदम गोस्वामी है, जिन्हे प्रस्तुत मामले का हमराह होना बताया गया है, के बयान के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उक्त साक्षी ने भी फर्द बरामदगी के अनुरूप कथन करते हुये एस.आई निरीक्षक चन्द्रपाल सिंह के नेतृत्व में अन्य हमराहीगण के साथ बहवाले रपट नं. 18 समय 7.30 बजे वास्ते शांति व्यवस्था व चैकिंग थाना क्षेत्र में मामूर होना और मुखबिर की सूचना पर क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में अभियुक्तगण को गिरफ्तार करना और जामा तलाशी में बरामद कार की पिछली सीट पर रखे एक ट्रॉली बैग व एक कैरी बैग में नाजायज गांजा होना तथा उक्त बरामद माल को इलैक्ट्रॉनिक कॉटे से तौलकर उसका कुल जन 26 किलो 725 ग्राम होना बताया है तथा बरामदगी से संबंधित फर्द को उ.नि. जितेन्द्र सिंह द्वारा कम्प्यूटर से टाईप करना बताया है। दौरान जिरह इस साक्षी ने रवानगी के संबंध में अपने साथ एक दरोगा जी व एक कॉनि का होना कहा है व घटनास्थल के लिये किस दिशा से निकले थे व किस सरकारी जीप से गये थे व उक्त जीप के नम्बर व उसे कौन चला रहा था, के संबंध में याद न होना कहा है। आगे यह साक्षी घटनास्थल की चौहद्दी व दिशाओं के संबंध में याद न होना बताता है। क्षेत्राधिकारी के संबंध में यह साक्षी उनकी घटनास्थल पर उपस्थिति होना स्वीकार करता है तथा उनके हस्ताक्षर को पहचानना बताता है किन्तु पत्रावली में संलग्न फर्द बरामदगी को देखकर उनके हस्ताक्षर न होना बताता है। अभियुक्तगण से बरामद माल को हरे रंग का होना बताता है तथा उक्त माल को किसी विशेषज्ञ द्वारा न पहचानना बताया है। इस साक्षी के उक्त बयान से इसकी घटनास्थल पर उपस्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है।

17– अभियोजन की तरफ से पी.डब्लू. 03 के रूप में मामले के चिक एफ.आई.आर व जी.डी लेखक हेड कॉनि. रामनारायण सिंह को परीक्षित कराया गया है जिसके द्वारा चिक एफ.आई.आर (प्रदर्श क–2) व जी.डी (प्रदर्श क–3) को स्वंय कम्प्यूटर से टाईप करना

बताया है और संबंधित प्रपत्रों को साबित किया है। उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है जिसने पुलिस प्रपत्रों को साबित किया है। तथ्य के संबंध में इस साक्षी के बयान से कोई युक्तियुक्त राय नहीं बनायी जा सकती है।

18– अभियोजन की तरफ से पी.डब्लू. 04 उ.नि. ऊदल सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिन्हे प्रस्तुत प्रकरण का विवेचक होना बताया गया है, के बयान के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस साक्षी द्वारा उक्त प्रकरण की विवेचा गृहण की गयी है तथा समस्त पर्चों को किता करते हुये संबंधित साक्षीगण के बयान अंकित किये है तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार कर उसे साबित किया है व संकिृत साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित करना बताया गया है तथा उक्त आरोप पत्र को इस साक्षी द्वारा प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है जिसने पुलिस प्रपत्रों को साबित किया है। तथ्य के संबंध में इस साक्षी के बयान से कोई युक्तियुक्त राय नहीं बनायी जा सकती है।

19– उपरोक्त के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की तरफ से बरामद मादक पदार्थ की जांच से संबंधित प्रपत्र कागज संख्या० 6अ/2 विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ०प्र० आगरा की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट जिसमें दिनांक 23.08.2023 को उक्त मादक पदार्थ जॉच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला को प्राप्त हुआ है। उक्त मादक पदार्थ के विश्लेषण से विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा गांजा होना पाया गया है। इस रिपोर्ट में जिस मादक पदार्थ को गांजा होना उल्लेखित किया गया है जो माल नमूने के लिये भेजा गया, वह वास्तव में अभियुक्त के पास से बरामद हुआ था या नहीं, यह तथ्य उपरोक्त विवेचना में स्पष्ट नहीं होता है। साथ ही साथ जो माल परीक्षण हेतु भेजा गया वह किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ही बतौर नमूना नहीं लिया गया है। फर्द बरामदगी के अनुसार कुल 09 पैकेट पृथक–पृथक रूप से बरामद होना बताया गया है किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि जो नमूना परीक्षण हेतु भेजा गया, वह बरामद सभी पैकेटों का मिश्रण था अथवा किसी एक पैकेट से नमूना लेकर परीक्षण हेतु भेजा गया। इस तथ्य का भी उल्लेख नहीं है जो 09 पैकेट अभियुक्तगण के पास से बरामद हुये, उनमे एक ही प्रकृति तथा एक ही मादकता के पदार्थ भरे हुये थे अथवा भिन्न–भिन्न। उक्त तथ्य से परीक्षण हेतु भेजा गया माल वास्तव में बरामद किये हुये माल का ही नमूना था अथवा अन्य माल का, यह तथ्य स्पष्ट नहीं है। अतः मात्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के पास से माल बरामद होना नहीं माना जा सकता।

प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य भी विचारणीय है कि क्या बाद गिरफ्तारी वादी मुकदमा द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुरूप सभी आवश्यक विधिक कार्यवाहिया सम्पादित की गयी है? जैसा कि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में धारा–50 एन.डी.पी.एस एक्ट एवं धारा–57 एन० एन.डी.पी.एस के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

जहाँ तक धारा–50 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अनुपालन का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में धारा–50 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी है कि–

(1) जब धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है तब वह, ऐसी व्यक्ति को यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे तो, बिना आवश्यक विलम्ब के धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा।

(2) यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है, तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तब तक निरूद्ध रख सकेगा, जब तक वह उसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जा सकता।

(3) यदि ऐसा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति लाया जाता है। तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं पाता है तो वह ऐसे व्यक्ति को तत्काल उन्मोचित कर देगा, किन्तु अन्यथा यह निदेश देगा कि तलाशी ली जाए।

(4) किसी स्त्री की तलाशी, स्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाएगी।

(5) जब धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति को जिसकी तलाशी ली जानी है। उसके कब्जे में किसी स्वापक औषधि या मलःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज को उस व्यक्ति से जिसकी तलाशी ली जानी है, अलग किए बिना निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की बजाय उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 में उपबंधित है।

(6) उपधारा (5) के अधीन तलाशी लिए जाने के पश्चात् उक्त अधिकारी ऐसे विश्वास के कारणों को लेखबद्ध करेगा, जिसकी वजह से ऐसी तलाशी की आवश्यकता पड़ी थी और उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी को बहत्तर घण्टे के भीतर भेजेगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालयद्वारा नारकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो बनाम सुखदेव राज सोढ़ी 2011(6) एस०सी०सी० पेज 392 के मामले में स्पष्ट रूप से यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित किया गया है कि धारा–50 एन०डी०पी०एस०एक्ट का अनुपालन अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में यह भी अवधारित किया गया है कि गिरफ्तारी के पश्चात् अभियुक्त को यह सूचित करना कि वह किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी तलाशी करा सकता है, ही पर्याप्त नहीं नहीं है अपितु गिरफ्तारी के पश्चात् अभियुक्त को वास्तविक रूप से किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक है। इसके सम्बन्ध में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है कि इसके बावत संवैधानिक पीठ में ही यह स्पष्ट किया गया है कि गिरफ्तारी के पश्चात् तलाशी हेतु अभियुक्त को किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष वास्तविक रूप से उपस्थित किया जाना सम्पूर्ण कार्यवाही की सत्यता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है। अतः इस विधि व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से प्रत्येक स्थिति में अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् तलाशी हेतु राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष भौतिक उपस्थिति अनिवार्य बताया गया है तथा यह भी अभिमत व्यक्त किया गया है कि इसका अनुपालन आवश्यक रूप से अत्याधिक कडाई के साथ होना चाहिए। इसी प्रकार का अभिमत **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Vijaysinh Chandupha Jateja Versas State of Gujarat (2011) 1 S.C.C–609 में भी धारा–50 एन०डी०पी०एस०एक्ट** के अनुपालन में बाद गिरफ्तारी अभियुक्त को आवश्यक रूप से राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष भौतिक रूप से उपस्थित किये जाने और राजपत्रित अधिकारी / मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लिये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

विधि व्यवस्था **In State of Punjab Vs. Baldev Singh 1999 (6) SCC 172** the Hon'ble Supreme Court held that the compliance of Section 50 N.D.P.S. Act is mandatory.

"..... That when an empowered officer or a duly authorised officer acting on prior information is about to search a person, it is imperative for

him to inform the person concerned of his right under sub–section (1) of Section 50 of being taken to the nearest gazetted officer or the nearest Magistrate for making the search......"

(2) That failure to inform the person concerned about the existence of his right to be searched before a gazetted officer or a Magistrate would cause prejudice to an accused."

प्रस्तुत मामले में धारा–50 एन०डी०पी०एस०एक्ट के अनुपालन के सम्बन्ध में पी.डब्लू. 01 वादी मुकदमा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह बताया गया कि अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से पूर्व उसने जरिये दूरभाष संबंधित क्षेत्राधिकारी को उक्त प्रकरण से अवगत कराया था और राजपत्रित/क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में अभियुक्तगण की जामातलाशी ली गयी थी किन्तु पत्रावली में संलग्न फर्द बरामदगी (कागज संख्या० 4अ/5 लगायत 4अ/6) में क्षेत्राधिकारी के हस्ताक्षर न होना बताये गये है और उक्त तथ्य की पुष्टि पी.डब्लू. 01 वादी मुकदमा व पी.डब्लू. 02 हमराह कॉनि. द्वारा भी दौरान जिरह अपने बयानों में की गयी है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर संबंधित निरीक्षक को निर्देशन हेतु कोई प्रपत्र भी संलग्न नहीं है जिससे संबंधित क्षेत्राधिकारी की घटनास्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त फर्द बरामदगी में उल्लिखित उक्त तथ्य पूरी तरफ से मनगढन्त एवं अविश्वसनीय प्रतीत होता है। जैसा कि मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में धारा–50 एन०डी०पी० एस०एक्ट के अनुपालन को अनिवार्य बताया गया है, अतः फर्द बरामदगी में उक्त तथ्य लाने मात्र से धारा–50 एन०डी०पी०एस०एक्ट के अनुपालन से किसी प्रकार की छूट वादी मुकदमा को नहीं दी जा सकती है।

जहाँ तक धारा–57 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अनुपालन का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी है कि–

"जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी या अभिग्रहण करता है, तब वह ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण के ठीक पश्चात् 48 घंटों के भीतर, ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण की सभी विशिष्टियों की पूरी रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ अधिकारी को देगा।"

इस सम्बन्ध में फर्द बरामदगी एवं साक्षियों के बयान में गिरफ्तारी की सूचना उच्च अधिकारियों को दिया जाना अंकित नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में कोई पुलिस प्रपत्र भी प्रस्तुत किये गये है जिससे यह स्पष्ट हो कि गिरफ्तारी की सूचना 48 घण्टे के अंदर वादी द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को दी गयी हो। धारा 57 एन.डी.पी.एस एक्ट किसी व्यक्ति

की गिरफ्तारी या कोई वस्तु अभिग्रहण में लिये जाने के ठीक 48 घण्टे के भीतर ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण की सभी विशिष्टियों की पूरी रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ अधिकारी को देना बाध्यकारी करता है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में न तो कोई ऐसा कथन किया गया है और न ही ऐसी कोई रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर दाखिल है और न ही ऐसी किसी रिपोर्ट का तस्करा रोजनामचा आम में किया गया है जबकि धारा–57 एन०डी० पी०एस०एक्ट के अनुसार यह आवश्यक है कि ऐसी गिरफ्तारी एवं अभिग्रहण में ली गयी वस्तु से सम्बन्धित सभी विशिष्टियों की पूरी रिपोर्ट गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी अपने पदीय वरिष्ठ अधिकारी को देगा। यह प्राविधान भी अनिवार्य है, जिसका अनुपालन आवश्यक है। वादी द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में इसकी सूचना किसी वरिष्ठ अधिकारी को दी गयी या नहीं, इस संबंध में न तो फर्द बरामदगी में कोई अंकन किया गया है और न ही न्यायालय में किये बयान में ही ऐसी किसी सूचना को दिये जाने के संबंध में कथन किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त प्राविधान का भी सम्यक् अनुपालन वादी मुकदमा द्वारा नहीं किया गया है और न ही पत्रावली में अभियोजन पक्ष की तरफ से इस सम्बन्ध में कोई पुलिस प्रपत्र ही प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके अवलोकन से यह पाया जाये कि धारा–57 एन०डी०पी०एस०एक्ट का अनुपालन अभियोजन पक्ष की तरफ से सम्यक विधिसंगत तरीके से किया गया है।

In the decisions **in Pankaj Bansal v. Union of India 2024 (7) SCC 576, Prabir Purkayastha v. State (NCT of Deihi) 2024(8) SCC 254 and Vihaan Kumar v. State of Haryana AIR 2025 SC 1388,** it has been held that the requirement of informing a person of grounds for arrest is a mandatory requirement of Article 22(1) and also that the information of the grounds for arrest must be provided to the arrested person in such a manner that sufficient knowledge of the basic facts confuting the grounds imparted and communicate to the arrested person effectively in the language which he understands.

उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्तगण को गिरफ्तारी का कारण स्पष्ट रूप से उसी भाषा में बताये जाने का प्रावधान किया गया है जिसमें वह आसानी से समझ सके। प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट नहीं है

कि अभियुक्तगण को वास्तव में प्रभावी तरीके से गिरफ्तारी का कारण बताया गया अथवा नहीं।

20– जैसा कि उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से यह पाया गया है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व उसके पास से बरामद माल मुकदमा की जो फर्द वादी मुकदमा द्वारा तैयार की गयी है तथा वाद गिरफ्तारी अन्य कार्यवाही जो पुलिस पार्टी द्वारा बतायी गयी है वह अपने आप में ही सन्देहास्पद है। उक्त तथ्य को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की तरफ से तथ्य के साक्षी पी.डब्लू. 01 व पी.डब्लू. 02 को परीक्षित कराया गया हैं, उनके बयान में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की परिस्थितियों के सम्बन्ध में सारवान विरोधाभास है। साथ ही साथ अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत प्रकरण में धारा–50 एन०डी०पी०एस०एक्ट एवं धारा–57 एन०डी०पी०एस०एक्ट का अनुपालन विधि सम्मत तरीके से किया जाना नहीं पाया जाता है, अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी तथा अभियुक्तगण के पास से बरामद माल पूरी तरफ से संदिग्ध हो जाता है और अभियोजन कथन युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण अपने ऊपर लगाये गये आरोप से दोषमुक्त होनें योग्य है।

आदेश

1. विशेष सत्र परीक्षण सं. 2826/2023 मुकदमा अपराध संख्या० 184/2023 थाना दन्नाहार जिला मैनपुरी में अभियुक्तगण **1–** त्रिलोक चन्द्र गोस्वामी पुत्र होरीलाल गोस्वामी निवासी वैदिक स्कूल वाली गली नंबर 4 टीचर्स कॉलोनी थाना सासनी जनपद हाथरस **2–** दयाशंकर उर्फ सोनू शर्मा पुत्र सोवरनलाल शर्मा निवासी नई बस्ती वाला पट्टी कॉलोनी थाना हाथरस कोतवाली शहर जनपद हाथरस **3–** नितिन कुमार पुत्र रामवीर सिंह निवासी ग्राम नोजलपुर थाना सासनी जनपद हाथरस को धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

2. अभियुक्तगण के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते है तथा जमानतियों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

3. अभियुक्तगण के पास से कथित बरामदगी बाद मियाद अपील विनष्ठ किया जाये।

4. अभियुक्त त्रिलोक चन्द्र के पास से कथित बरामद मोबाईल एक कीपेड मोबाईल (लावा कम्पनी) व अभियुक्त दयाशंकर उर्फ सोनू शर्मा से कथित बरामद एक

एंड्राईड मोबाईल (रियलमी कम्पनी) अभियुक्तगण को यदि उनके द्वारा पूर्व में न्यायालय के आदेश से प्राप्त न किया गया हो तो उन्हे वापस किया जाये।

5. अभियुक्तगण द्वारा 437 दं.प्रं.स. के अनुपालन में दाखिल की गयी जमानत छः माह तक प्रभावी रहेगी।

दिनाँकः– 09.04.2026

(अच्छे लाल सरोज)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या 01, मैनपुरी।
ID No. –UP 6134

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनाँकः– 09.04.2026

ACHCHHE LAL SAROJ

Digitally signed by ACHCHHE LAL SAROJ
Date: 2026.04.10 11:17:34 +0530

(अच्छे लाल सरोज)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या 01, मैनपुरी।
ID No. –UP 6134